



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125092

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 19326 वर्ष 2026

आदिल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : चंद्र भूषण प्रसाद, फिरोज अहमद खान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 34

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री फिरोज अहमद खान का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता श्री जावेद आलम और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री ज्योति कुमार सिंह को सुना गया। अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. थाना खंदौली, जिला आगरा से संबंधित वाद अपराध संख्या- 36 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 310(2), 61(2) बी.एन.एस.में आवेदक की ओर से एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूओं को स्वीकार करने के लिए वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आगे यह प्रार्थना की गई है कि निचली अदालत को एक मामले में प्रस्तुत प्रतिभूओं और व्यक्तिगत बंधपत्र पर विचार करने तथा उसे ही सभी छह आपराधिक मामलों के लिए मानने का निर्देश दिया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को छह आपराधिक मामलों में जमानत पर रिहा किया गया था और निचली अदालत ने निर्देश दिया था कि प्रत्येक मामले में

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उसे दो प्रतिभू प्रस्तुत करने चाहिए और प्रत्येक छह मामलों में दो-दो प्रतिभू उपलब्ध कराने में आवेदक की असमर्थता के कारण, वह अभी भी जेल में निरुद्ध है, यद्यपि उसे लगभग तीन महीने पहले ही सभी छह मामलों में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, निचली अदालत को उन छह आपराधिक मामलों के लिए केवल दो प्रतिभू स्वीकार करने का निर्देश देना वांछनीय है जिनमें आवेदक को जमानत पर रिहा किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यदि ऐसा आदेश नहीं दिया जाता है, तो आवेदक जेल से बाहर नहीं आ पाएगा और आवेदक के पक्ष में पहले जारी किए गए जमानत आदेश निरर्थक हो जाएंगे। आवेदक के वाद अपराध संख्या- 31 वर्ष 2026 और वाद अपराध संख्या- 35 वर्ष 2026 में पारित जमानत आदेश दिनांक 12.03.2026; वाद अपराध संख्या- 36 वर्ष 2026 में पारित जमानत आदेश दिनांक 08.04.2026; वाद अपराध संख्या- 39 वर्ष 2026 में पारित जमानत आदेश दिनांक 09.03.2026; वाद अपराध संख्या- 41 वर्ष 2026 में पारित जमानत आदेश दिनांक 19.03.2026 और वाद अपराध संख्या- 42 वर्ष 2026 में पारित जमानत आदेश दिनांक 19.03.2026 इस आवेदन के अनुलग्नक संख्या- 2 के रूप में संलग्न हैं।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यद्यपि प्रार्थना का विरोध किया परंतु निष्पक्ष रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक उन छह मामलों में दो-दो प्रतिभू जुटाने में असमर्थ है जिनमें उसे जमानत पर रिहा किया गया है, और इसलिए, निचली अदालत को सभी छह मामलों में दो प्रतिभू स्वीकार करने का निर्देश दिया जा सकता है ताकि उसे जमानत पर रिहा किया जा सके।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हानी निषाद उर्फ मोहम्मद इमरान उर्फ विक्की बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष अनुमति याचिका (क्रिमिनल) संख्या- 8914-8915 वर्ष 2018** में पारित आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 द्वारा विद्वान निचली अदालत को एक मामले में प्रतिभूओं और व्यक्तिगत बंधपत्र को स्वीकार करने और उसे अन्य सभी मामलों के लिए मानने का निर्देश दिया है, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। याचिकाकर्ता विभिन्न अपराधों के लिए 31 आपराधिक मामलों में शामिल बताया जाता है।

विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ सभी मामलों में दो-दो प्रतिभू जुटाने की शर्त पर अलग-अलग आदेशों द्वारा सभी 31 मामलों में जमानत प्रदान की थी।

याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया और यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के लिए 62 प्रतिभूओं का प्रबंध करना असंभव था।

याचिकाकर्ता का यह मामला है कि उच्च न्यायालय ने समान परिस्थितियों में आदेश दिनांक 21.9.2017 द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामले में 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) के दो प्रतिभूओं के साथ याचिकाकर्ता को जमानत दी थी और उन्हीं प्रतिभूओं को अन्य सभी मामलों में भी प्रतिभू माना जाना था। याचिकाकर्ता को प्रत्येक मामले में 30,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि, आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय को सभी मामलों के लिए एक सामान्य प्रतिभू और 31 मामलों के लिए एक-एक प्रतिभू स्वीकार करने का निर्देश देकर वर्तमान मामलों में विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों को संशोधित कर दिया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि भले ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जमानत दे दी है, परंतु याचिकाकर्ता जमानत की दमनकारी शर्तों, विशेष रूप से 31 प्रतिभू पेश करने की शर्त के कारण जमानत बंधपत्र निष्पादित करने में असमर्थ है।

तर्कों पर विचार करते हुए, आक्षेपित आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 30,000/- रुपये (केवल तीस हजार रुपये) का एक व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करेगा और वही बंधपत्र सभी 31 मामलों के लिए मान्य होगा। वहाँ दो प्रतिभू होंगे जो 30,000/- रुपये का बंधपत्र निष्पादित करेंगे, जो बंधपत्र सभी 31 मामलों के लिए मान्य होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रकार निष्पादित व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूओं द्वारा इस प्रकार निष्पादित बंधपत्र सभी 31 मामलों के लिए मान्य होंगे।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इन टिप्पणियों के साथ, विशेष अनुमति याचिकाएं निस्तारित की जाती हैं।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित माने जाएंगे।"

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित उक्त कानूनी स्थिति पर विवाद नहीं किया है।

8. तदनुसार, यह आवेदन निस्तारित किया जाता है और यह प्रावधान किया जाता है कि आवेदक 25,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करेगा और वही व्यक्तिगत बंधपत्र सभी छह मामलों के लिए मान्य होगा। एक प्रतिभू होगा जो 25,000/- रुपये का बंधपत्र निष्पादित करेगा, जो बंधपत्र सभी छह मामलों के लिए मान्य होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक द्वारा इस प्रकार निष्पादित व्यक्तिगत बंधपत्र और एक प्रतिभू द्वारा इस प्रकार निष्पादित बंधपत्र सभी छह मामलों के लिए मान्य होंगे। यदि ऐसा किया जाता है, तो उक्त व्यक्तिगत बंधपत्र और प्रतिभू को उन अन्य सभी मामलों में वैध माना जा सकता है जिनमें उसे जमानत पर रिहा किया गया है और इसे अन्य सभी जमानत आदेशों का पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा।

3 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।